

मध्य प्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

चिकित्सा प्रतिपूर्ति-पत्रक (MEDICAL REIMBURSEMENT FORM)

कर्मचारियों तथा उनके परिवार की चिकित्सा परिचर्या और / या
इलाज पर हुए चिकित्सा व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति का आवेदन प्रपत्र
(प्रत्येक रोगी के लिए अलग प्रपत्र भरा जाना चाहिए)

1. कर्मचारी का नाम व पद
2. कार्यालय का नाम
3. मूल वेतन की दी गई परिभाषा के अनुसार कर्मचारी का वेतन
(यदि अन्य कोई परिलिखियाँ हों तो उन्हें अलग से दर्शाया
जाना चाहिये।)
4. नौकरी का स्थान
5. निवास का वास्तविक पता
6. रोगी का नाम एवं कर्मचारी से उसका सम्बन्ध
(टीप-यदि बीमार बच्चा हो तो उसकी उम्र भी लिखी जाय)
7. रोगी किस स्थान पर बीमार पड़ा
8. बीमारी का नाम एवं उसकी अवधि
9. दावे की रकम का ब्यौरा

डाक्टरी परिचर्या (MEDICAL ATTENDANCE)

- (क) निम्नलिखित बातों का निर्देश करते हुए परामर्श शुल्क :-
- (i) उस चिकित्साधिकारी का नाम व पद जिससे परामर्श
लिया गया तथा चिकित्सालय/औषधालय का नाम।
 - (ii) कितनी बार और किस-किस तारीख को परामर्श
लिया गया तथा हर परामर्श के लिये कितनी-कितनी
फीस दी गई।
 - (iii) परामर्श कहाँ लिया गया ? चिकित्साधिकारी के
चिकित्सालय में / निजी परामर्श कक्ष में या रोगी के
निवास स्थान पर।
- (ख) रोग निदान करते समय किये गये विकृति-वैज्ञानिक,
(Pathological) जीवाणु-वैज्ञानिक (Bacteriological)
विकिरण-वैज्ञानिक (Radiological) और ऐसे ही दूसरे
परीक्षण का खर्च लिखिये और निम्नलिखित जानकारी दें:-
- (i) उस चिकित्सालय या प्रयोगशाला का नाम जहाँ उक्त
परीक्षण हुए, और
 - (ii) क्या वे परीक्षण प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह
पर हुए, यदि हाँ तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
 - (iii) बाजार से खरीदी गई दवाओं का मूल्य दवाओं की सूची,
नकद-पत्र व अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

चिकित्सालयीन उपचार (HOSPITAL TREATMENT)

चिकित्सालयीन उपचार में हुए खर्च का उल्लेख निम्नानुसार अलग से करें :-

- (क) आवास (Accommodation)
 (यह लिखें कि क्या वह कर्मचारी के वर्तमान वेतन या हैसियत के अनुरूप ही था ? नहीं तो इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दें कि जिस प्रकार के आवास के लिए कर्मचारी हकदार था वह उपलब्ध नहीं था ।)

(ख) खुराक (Diet)

(ग) शल्य-क्रिया या डॉक्टरी इलाज

(घ) विकृति-वैज्ञानिक, जीवाणु-वैज्ञानिक, विकिरण-वैज्ञानिक या इसी तरह के अन्य परीक्षणों का उल्लेख करें एवं बतायें कि -

 - (i) उस चिकित्सालय या प्रयोगशाला का नाम जिसमें उक्त परीक्षण हुए ।
 - (ii) क्या वे परीक्षण कार्यभारी चिकित्साधिकारी (Medical Officer In-Charge) की सलाह से अस्पताल में हुए ? यदि हाँ तो इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।

(ङ) दवायें (Medicines)

(च) विशेष दवायें (दवाओं की सूची, नकद-पत्र और उसकी अत्यावश्यकता का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें ।)

(छ) साधारण उपचर्या (Ordinary Nursing)

(ज) विशेष उपचर्या (Special nursing) के लिये अर्थात् क्या रोगी के लिये विशेष रूप से नर्स लगाई गयी ? यदि “हाँ” तो सूचित करें कि :-

 - (i) क्या उसके लिये अस्पताल में उनके कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी ने सलाह दी थी ?
 या
 - (ii) रोगी की प्रार्थना पर नियुक्त की गई ।
 (पहली स्थिति में रोगी का कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें जो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ।)

(झ) एम्बुलेंस खर्च (कहाँ से कहाँ तक यात्रा की गई लिखें) और दूसरे खर्चें जैसे - बिजली की रोशनी, पंखा, हीटर, वातानुकूल आदि का खर्च यह भी लिखें कि ये सुविधायें सोधारणतया सभी रोगियों को दी जाती हैं और रोगी की विशेष इच्छा पर कोई चीज नहीं दी गयी ।

विशेषज्ञ से परामर्श (CONSULTATION WITH SPECIALIST)

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषज्ञ या चिकित्साधिकारी से परामर्श लेने के लिए दी गयी फीस एवं निम्नानुसार जानकारी दें :-

घोषणा (DECLARATION)

मैं घोषित करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और जिस व्यक्ति पर चिकित्सा व्यय किये गये हैं, वह पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है।

दिनांक :

कर्मचारी के हस्ताक्षर
कार्यालय

आवश्यकता प्रमाण-पत्र (ESSENTIALITY CERTIFICATE)

(देखिये नियम : 8 / 2)

- (अ) ऐसी औषधियों के मामले में जो मेडिकल स्टोर्स डिपो की मूल्य सूची में शामिल नहीं है :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
 आत्मज/ आत्मजा/ पत्नी/ श्री जो कि कार्यालय
 में सेवा नियुक्त है वे मेरे अधीन उपचार में (बीमारी का नाम) की चिकित्सा हेतु
 चिकित्सालय में रहे / रही और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित औषधियाँ मैने
 लिखीं जो मेडिकल स्टोर्स डिपो की मूल्य सूची में शामिल नहीं हैं और न ही ये ऐसी वस्तुएँ हैं जो प्रथमतः भोजन सामग्री या रोगाणुनाशी पदार्थ हों। ये औषधियाँ उपरोक्त मरीज की चिकित्सा के लिये नितांत अनिवार्य थी :-

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के हस्ताक्षर
और पद / अस्पताल में रोगी के प्रभारी
चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

(८) ऐसे ही अवैज्ञानिकों के मानसों में जो ऐनियन्स कर्डोर्स रिट्रॉट

三

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी

में सेवा नियुक्त है वे मेरे अधीन उपचार में
(बीमारी का नाम)

चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में रहे / रहीं और उसा सम्बन्ध में निम्नलिखित ओषधियाँ

मैंने लिखी जो कि मेडिकल स्टोर्स डिपो की मूल्य सूची में शामिल है, और वे

आधिरथ्यमिक / प्रोप्रयद्दी / या अच्यु पक्ष की कोई भी ओषधि नहीं जो कि उत्तरवर्त मल्ल यसी के बाहर की है और न भी वे ऐसी निर्मित

वरस्तु ये हैं जो प्रथमतः खाद्य सामग्री या रोगाणुनाशी पदार्थ हैं।

**मूल्य मूल्यक्रमांक
नोडल स्टेस मूल्य मूल्यक्रमांक
ओपोर्ट्यूनिटी के नाम**

卷之三

100

प्राधिकृत चाक्तमा परचारक क हस्ताक्षर
और पद / अस्पताल में सोनी के प्रभासी
चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

(स) इस्तुलन चाकत्ता के मामले में :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रामिता / कुमारा

आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री

卷之三

द्वाय गोंगी परमिक अवस्था की चिकित्सा के दैनन्दिन

गया था जिसके लिये दिनांक से दिनांक तक की अवधि में चिकित्सा व्यय की

गया था।